

भारत सरकार  
अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.)  
बेंगलूरु

सं: सैटकॉम-पि.ओ./एफ.आई.सी.आर.एफ-ओ.यू.

19 जून 2018

**विषय: इन्सैट/जीसैट क्षमता के आवसरिक उपयोग हेतु दिशा-निर्देश**

आवसरिक उपयोग (ओ.यू.) हेतु अंतरिक्ष खंड क्षमता के आबंटन की मांग करने वाले मौजूदा/संभाव्य अंतरिक्ष खंड प्रयोक्ताओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश निम्नांकित हैं:

**आवेदन संबंधित**

- 1) आवसरिक उपयोग हेतु आबंटन की मांग करने वाले प्रयोक्ताओं को परिशिष्ट-1 में दिए गए निर्दिष्ट "इन्सैट/जीसैट आवसरिक उपयोग हेतु क्षमता आवश्यकता प्रारूप (आई.सी.आर.एफ.-ओ.यू.)" में ही अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। पूर्ण विवरण सहित आवेदन निदेशक, उपग्रह संचार कार्यक्रम कार्यालय, इसरो मुख्यालय, बेंगलूरु-560231 को मात्र मेल द्वारा [tka@isro.gov.in](mailto:tka@isro.gov.in) एवं [dirtsatcom@isro.gov.in](mailto:dirtsatcom@isro.gov.in) पर ही भेजे जाएं।
- 2) आवसरिक उपयोग हेतु न्यूनतम क्षमता 2 मे.ह. होगी एवं न्यूनतम आबंटन की अवधि 1 दिन की होगी।
- 3) प्रयोक्ता प्रत्येक प्रकार की सेवा (डी.एस.एन.जी., वी.एस.ए.टी., टी.वी., या अन्य सेवा) के लिए अंतरिक्ष खंड क्षमता और प्रत्येक आवृत्ति बैंड (सी., के.यू. इत्यादि) तथा प्रत्येक कक्षीय स्लॉट के आबंटन हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत करें।
- 4) आवसरिक उपयोग हेतु मांगी गई क्षमता के लिए लागू करों के साथ-साथ लेखा अधिकारी, एंट्रिक्स कोर्पोरेशन लिमिटेड (ईमेल: [antrixaccounts@antrix.gov.in](mailto:antrixaccounts@antrix.gov.in)) को सूचित करते हुए पूर्ण भुगतान ऑनलाइन/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./सीधे बैंक खाते में जमा कराने के माध्यम से "एन्ट्रिक्स कोर्पोरेशन लि." चालू खाता सं.10502677013, भारतीय स्टेट बैंक, डॉलर कॉलोनी, सं. 61, ए.जी. ऑफिस लेआउट, न्यू बी.ई.एल. रोड, आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज, बेंगलूरु-560054 (आर.टी.जी.एस. कोड SBIN0009042,

एम.आई.सी.आर. कोड 560002063) में अग्रिम रूप से जमा किया जाए। चेक, ड्राफ्ट या नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रयोक्ता विकल्प के रूप में, एंट्रिक्स कोर्पोरेशन लिमिटेड के साथ चालू जमा भी रख सकते हैं, जिसका उपयोग बहु आई.सी.आर.एफ.-ओ.यू. के एवज में अग्रिम भुगतानों के लिए किया जाएगा।

- 5) पूर्ण भुगतान विवरण के बिना किसी भी आई.सी.आर.एफ.-ओ.यू. आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6) प्रयोक्ता आई.सी.आर.एफ.-ओ.यू. को आबंटन से पूर्व वापस ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अग्रिम रूप से जमा की गई राशि की वापसी की जाएगी।

#### **आबंटन संबंधित**

- 7). अंतरिक्ष खंड क्षमता का आबंटन देय कर्मठता/संवीक्षा की प्रक्रिया पर आधारित होगा।
- 8) अंतरिक्ष खंड क्षमता की तकनीकी उपयुक्तता से संबंधित मामलों पर अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) का निर्णय अंतिम होगा और प्रयोक्ता पर बाध्य होगा।
- 9) अं.वि. के पास नई या मौजूदा आई.सी.आर.एफ.-ओ.यू. निरस्त करने तथा प्रयोक्ताओं को नई क्षमता आबंटित नहीं करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि ऐसे प्रयोक्ता
  - (क) भुगतान करने में चूक करते हैं;
  - (ख) वे सूची से निकाले गए हैं, या
  - (ग) एंट्रिक्स / अं.वि. या किसी सरकारी मंत्रालय / विभाग / एजेंसी द्वारा उन्हें दण्डात्मक कार्रवाई की कोई नोटिस जारी की गई है।

#### **भुगतान संबंधित**

- 10) आबंटन पत्र के जारी होने पर क्षमता हेतु बीजक एंट्रिक्स तैयार करेगा तथा भुगतान की गई अग्रिम राशि का समायोजन करेगा।

- 11) एक बार आवसरिक प्रयोग हेतु क्षमता का आबंटन होने पर, इसे रद्द नहीं किया जा सकता तथा प्रयोक्ता को इसके उपयोग का ध्यान दिए बिना क्षमता हेतु भुगतान करना होगा।
- 12) किसी कारणवश अग्रिम भुगतान (आंशिक या पूर्ण) की वापसी आवेदक द्वारा मुहैया कराए गए बैंक ब्यौरों के आधार पर ऑनलाइन/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./सीधे बैंक खाते में जमा के माध्यम से केवल एंट्रिक्स द्वारा ही अंतरित की जाएगी। इस हेतु कोई भी चेक या ड्राफ्ट नहीं दिया जाएगा।
- 13) उपयोग के दिनांक पर मौजूदा मूल्य अंतरिक्ष खण्ड के लिए लागू मूल्य होगा। यदि अग्रिम भुगतान के दिनांक तथा उपयोग के दिनांक के बीच मूल्य संशोधन होता है तो, प्रयोक्ता को उस अंतर की राशि का भुगतान करना होगा/ उसे वापसी की जाएगी।

#### **अन्य**

- 14) यह प्रयोक्ता की जिम्मेदारी होगी की वह अन्य सरकारी मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों से आवश्यक संवैधानिक लाइसेंसों को प्राप्त करें।
- 15) यदि कोई भी प्रयोक्ता आबंटन पत्र में दी गई निर्दिष्ट अवधि से अधिक आवसरिक उपयोग हेतु आबंटित क्षमता का प्रयोग करते हुए पाया गया अथवा किसी अन्य उद्देश्य हेतु क्षमता का उपयोग करते हुए पाया गया तो अं.वि./इसरो/एंट्रिक्स उपयुक्त विनायमक और/अथवा विधिक कदम उठा सकते हैं तथा प्रयोक्ता को सूची से भी बाहर निकाल सकते हैं।
- 16) ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभावी होंगे।
- 17) अं.वि. के पास इन दिशा-निर्देशों को परिवर्तित करने के अधिकार सुरक्षित हैं।
- 18) किसी भी विवाद के मामले में, मामला सचिव, अं.वि. के पास भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।

\*\*\*